न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 1152/2022

UPRN180021122022

सरकार   बनाम   ज्योतिमा गुप्ता

धारा 323,504,506 भा०द०सं०

एन०सी०आर०सं० 103/2022

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

<u>आरोप</u>

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप ज्योतिमा गुप्ता पत्नी ललित कुमार को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनांक 03/04/2021 को समय 2.30 बजे दिन बहद स्थान मोहल्ला अशोक नगर उत्तरी कस्बा व थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आपने वादी मुकदमा ललित कुमार को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने धारा **323 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आपने वादी मुकदमा ललित कुमार को लोकशान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आपने धारा **504 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आपने वादी मुकदमा ललित कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकारण आपने धारा **506 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 28/04/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 28/04/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562